मु.नं.–47 / 2021 GCMS ID-2021/79 ता.रजु–21.06.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

संतोष कुमार जैन, पूर्व अति. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर अलवर, निवासी बी–140, अशोक विहार कॉलोनी, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 07.07.2021, 12.07.2021, 19.07.21, 28.07.21, 05.08.21, 11.08.21, 18.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर कार्यालय जिला कलक्टर करौली में दिनांक 01.04.2017 स्वीकृत संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों की संख्या, उक्त दोनों पदों पर वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के नाम, उनके पदोन्नति आदेश, इस हेतु कार्यालय द्वारा अपनाई गई विहित प्रक्रियाओं एवं की गई / करवाई गई डी.पी.सी. की मय नोटशीट / पत्रावली की प्रति, उक्त दोनों पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों को दिये गये कार्य का विवरण इत्यादि कुल 8 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसके संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट रहने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी को उनके पत्रांक 386 दिनांक 04.06.2021 द्वारा संस्थापन अनुभाग से प्राप्त यू.ओ. नोट की प्रति भिजवा दी गई है जिसके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी का एक पद रिक्त है जो वर्तमान में रिक्त है। संस्थापन अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। श्री जैन द्वारा ईप्सित अन्य सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत तथ प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प.3(22)प्रसु / सू.अ.प्र. / 06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार नवीन सूचना ईप्सित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर आर.टी.आई. प्रावधानों में नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च), 2(झ) व 2(ञ) में अभिप्रेत सूचना ही देने के प्रावधान हैं। अंत में अपील अपीलार्थी ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है जिससे अपीलार्थी के संतुष्ट नहीं होने पर यह अपील पेश की गई है। यद्यपि सूचना की व्याख्या किया जाना आर.टी.आई. एक्ट 2005 में नहीं है तथापि अपीलार्थी को बिन्दुबार सूचना अथवा उत्तर भिजवाया जाना चाहिये था। अतः हम अपील, अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में बिन्दुबार उत्तर अपीलार्थी को भिजवाते हुए पालना से इस न्यायालय को भी अवगत करावें। आवेदन में अंकित जो सूचना देय नहीं है, उसके कारण / प्रावधान का अंकन करते हुए अपीलार्थी को सूचित करें।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली